भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2965

(जिसका उत्तर गुरुवार, 14 मार्च, 2013/23 फाल्गुन, 1934 (शक) को दिया गया)

<u>तुलन पत्र प्रस्तुत करना</u>

2965. श्री एस. अलागिरी :

श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कंपनियों द्वारा तुलन पत्र प्रस्तुत करने के प्रावधान का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान उपर्युक्त प्रावधान के उल्लंघन का ब्यौरा क्या है;

(ग) तुलन पत्रों की प्रस्तुति के उपर्युक्त प्रावधान के उल्लंघन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इस संबंध में की गई दंडात्मक कार्रवाई तथा अब तक हासिल परिणामों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री सचिन पायलट)

(क) : कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 220 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में विहित रूप से प्रस्तुत करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर तुलन पत्र और लाभ-हानि खाता की प्रति कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के पास दर्ज करना अपेक्षित है।

(ख) से (घ) : पिछले तीन वर्षों में तुलन पत्र और लाभ-हानि खाता दायर न करने हेतु दायर मामलों का विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	संख्या
2009-10	2089
2010-11	1981
2011-12	3097

ये दस्तावेज विलंब से दायर करने हेतु कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 611(2) के अनुसार अतिरिक्त शुल्क देय है।

*****